राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 17491/2018

रोहिताश्व कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री कजोड़ा राम, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बिशनपुरा, वाया बड़ागांव, जिला झुंझुनू, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार, सचिव जरिये, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान
3. उप. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू, राजस्थान

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	श्री महेंद्र शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री प्रज्ञा सेठ, अधिवक्ता के साथ
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री एस. ज़कावत अली, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

<u>आदेश</u>

आदेश सुरक्षित करने की तिथि : 05.07.2023

आदेश उच्चारित करने की तिथि : 11.07.2023

<u>रिपोर्टेबल</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन निहित इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.10.2017 और 10.07.2018 के आक्षेपित आदेशों की वैधता को चुनौती देते हुए इस न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसके द्वारा सेवाओं की याचिकाकर्ता की सेवाओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 326/34, 324/34 और 323/34 (संक्षेप में, 'आईपीसी') के तहत अपराध से जुड़े एक

आपराधिक मामले में उसकी सजा के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता शिक्षक के पद पर कार्यरत था और उसके खिलाफ 23.03.1994 को पुलिस थाना सदर, झुंझुनू में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और वह 23.03.1994 से 10.05.1994 तक 49 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा और उन्होंने इस तथ्य को विभाग से छुपाया और अपनी बेटी की बीमारी और पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर इन 49 दिनों के लिए असाधारण छुट्टियों की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया और उसे इसकी मंजूरी दे दी गई। इसके बाद, उनके विरुद्ध सत्र प्रकरण संख्या 75/1994 (37/1997) में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झुंझुनू के न्यायालय के समक्ष धारा 307/34, 326/34, 324/34 और 323/34 आईपीसी के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्होंने आईपीसी की धारा 326/34, 324/34 और 323/34 के तहत दंडित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उन्हें दिनांक 24.08.1998 के निर्णय के तहत दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय के खिलाफ एसबी आपराधिक अपील संख्या 639/1998 प्रस्तुत की और 15.05.2015 को आंशिक रूप से इसकी अनुमति दी गई और इस न्यायालय द्वारा उसकी सजा को बरकरार रखा गया और उसे पहले ही भुगती गई सजा के आधार पर रिहा कर दिया गया। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम, 1958 (संक्षेप में, '1958 के नियम') के नियम 17 के तहत उन्हें आरोप-पत्र दिया गया था और उनके खिलाफ दो आरोप तय किए गए कि उन्होंने इस तथ्य को छुपाया था कि एक आपराधिक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन्होंने गिरफ्तारी अवधि के 49 दिनों को असाधारण छुट्टियों के रूप में स्वीकृत कराया गया और आधा वेतन वेतन प्राप्त हुआ। याचिकाकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि नियमों के बारे में जानकारी की कमी होने के कारण, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के संबंध में तथ्य का खुलासा नहीं किया गया और उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.05.2015 के निर्णय के तहत उस आपराधिक मामले में उसे बरी कर दिया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त स्पष्टीकरण पर भरोसा करते हुए, सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही को छोड़ दिया गया और दिनांक 01.05.2017 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की 49 दिनों की गिरफ्तारी अवधि को असाधारण छुट्टियों के

रूप में मंजूरी दे दी गई। इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (संक्षेप में, 'वीआरएस') की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया और 03.07.2017 को इसकी अनुमति दे दी गई और उसका वीआरएस 06.09.2017 से स्वीकार कर लिया गया। 06.09.2017 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रवृत्त होने से पूर्व दिनांक 03.07.2017 का वीआरएस आदेश 04.09.2017 को वापस ले लिया गया तथा स्कूल के प्रधानाचार्य को याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त नहीं करने का निर्देश दिया गया।

3. इसके बाद, उनकी दोषसिद्धि के संबंध में उपरोक्त सभी तथ्यों पर विचार करते हुए और उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखने के निर्णय और एक आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि को छिपाने के बारे में याचिकाकर्ता के कदाचार को देखते हुए, 03/10/2017 को निर्णय लिया गया कि याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। याचिकाकर्ता ने सीसीए नियम 1958 के नियम 23 के तहत अपील दायर करके अपीलीय प्राधिकारी अर्थात निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के समक्ष दिनांक 03/10/2017 को अपने समाप्ति आदेश को चुनौती दी, लेकिन दिनांक 10.07.2018 के आक्षेपित आदेश के तहत इसे खारिज कर दिया गया।

4. दिनांक 03/10/2017 और 10/07/2018 के इन दो विवादित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने इस याचिका को दायर करके इस न्यायालय की शरण ली है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहा कि जब एक बार नियम 1958 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गई और प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ता की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया, और याचिकाकर्ता सेवा में नहीं था तथा याचिकाकर्ता प्रत्यर्थीगण के लिए एक मृत व्यक्ति बन गया था, इसलिए, मृत व्यक्ति की सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकतीं। अधिवक्ता ने कहा कि वीआरएस स्वीकृति आदेश दिनांक 03.07.2017 को वापस लिए बिना, प्रत्यर्थीगण ने 1958 के नियमों के नियम 16 या 17 के तहत कोई जांच किए बिना याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता का कदाचार और दोषसिद्धि नहीं हुई थी। यह उनके कर्तव्यों के आधिकारिक निर्वहन से संबंधित है, इसलिए उनकी बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश कानून की नजर में विधिक रूप से धारणीय नहीं है। अपने तर्क के

समर्थन में, उन्होंने **एच.आर. चौधरी बनाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर एवं अन्य: डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 12437/2012**, 27.01.2017 को निर्णित, के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया है।

6. अधिवक्ता का कहना है कि ऊपर दी गई दलीलों के मद्देनजर, सभी परिणामी लाभों के साथ आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए और आपास्त किया जाए।

7. इसके विपरीत; राज्य/प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता, गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के बारे में तथ्य छुपाया। अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने गलत जानकारी देकर विभाग को गुमराह किया है कि उसे उक्त आपराधिक मामले में इस न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है। अधिवक्ता ने यह कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त गलत और झूठी जानकारी दी जाने के कारण, विभाग ने विभागीय कार्यवाही बंद कर दी और 03.07.2017 को उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 06.09.2017 से स्वीकार कर ली, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति से पहले, याचिकाकर्ता के उपरोक्त वास्तविक तथ्य और कदाचार विभाग के संज्ञान में आ गए, इसीलिए वीआरएस आदेश दिनांक 03.07.2017 की पुनः समीक्षा की गई और उसे उनकी सेवानिवृत्ति की देय तारीख अर्थात 06.09.2017 से पहले 04.09.2017 को वापस ले लिया गया, और उसके बाद 1958 के नियमों के नियम 19 के तहत निहित शक्ति का उपयोग करते हुए, 03.10.2017 को याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ता ने यह कहा कि याचिकाकर्ता अपनी बर्खास्तगी के समय सेवा में था और प्रतिवादियों ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अधिवक्ता ने कहा कि मामले के इन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. तर्कों को सुना गया और उन पर विचार किया गया। अधिवक्ता परिषद में प्रस्तुतियाँ की गईं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

9. इस मामले के निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता आईपीसी की धारा 326, 324 और 323 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आपराधिक मामले में शामिल था, उसे गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया तथा उसे गिरफ्तार किया गया और 49 दिन तक न्यायिक हिरासत में रखा गया और अंततः उन्हें अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश, झुंझुनू के न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.1998 के निर्णय के तहत कारावास की सजा सुनाई गई। यह तथ्य विवादित नहीं है कि आपराधिक अपील में याचिकाकर्ता की सजा को इस न्यायालय ने दिनांक 15.05.2015 के निर्णय के जरिए बरकरार रखा था और उसे पहले ही भुगती गई सजा पर रिहा कर दिया गया था। इसका अर्थ यह है कि उनकी सजा का फैसला अंतिम हो गया था। याचिकाकर्ता ने मामले के इन महत्वपूर्ण तथ्यों और पहलुओं को दबाकर और छिपाकर अधिकारियों को गुमराह किया और विभागीय कार्यवाही में मिथ्या और गलत बयान दिया कि उसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2015 के निर्णय के तहत बरी कर दिया गया है, जबकि इस न्यायालय द्वारा उसकी सजा को बरकरार रखा गया था। उपरोक्त गलत जानकारी पर भरोसा करते हुए, विभाग ने आरोप-पत्र छोड़ दिया और याचिकाकर्ता द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग पर विचार करते हुए दिनांक 03.07.2017 के आदेश के तहत प्रस्तुत आवेदन 06.09.2017 से स्वीकार कर लिया। इसके बाद, ये सभी तथ्य प्रत्यर्थीगण के ध्यान में आए और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने वाले आदेश को 04.09.2017 अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति से दो दिन पहले वापस ले लिया गया और संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को सूचित किया गया कि याचिकाकर्ता को सेवा और उसके द्वारा धारित पद से मुक्त न किया जाए। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता दिनांक 03.10.2017 को उसके बर्खास्तगी के आदेश के पारित होने के समय सेवा में बना रहा।

10. अब, इस न्यायालय के लिए निर्णय का मुद्दा यह है कि "क्या याचिकाकर्ता को केवल आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है?"

11. सीसीए नियम 1958 का नियम 19 किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उस आचरण के आधार पर कार्रवाई करने की विशेष प्रक्रिया से संबंधित है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया था।

12. त्वरित संदर्भ के लिए नियम 19 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> **19. कुछ मामलों में विशेष प्रक्रिया, नियम-** 16, 17 और 18 में किसी बात के होते हुए भी,
>
> (i) जहां किसी सरकारी कर्मचारी पर आचरण के आधार पर जुर्माना लगाया

जाता है जिसके कारण उसे आपराधिक आरोप में दोषी ठहराया गया है; या

(ii) जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि उक्त नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है; या

(iii) जहां राज्यपाल संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में, ऐसी प्रक्रिया का पालन करना समीचीन नहीं है, अनुशासनात्मक प्राधिकरण मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे।

बशर्ते कि किसी भी मामले में ऐसे आदेश पारित करने से पहले आयोग से परामर्श किया जाएगा जिसमें ऐसा परामर्श आवश्यक है।"

13. नियम 19 का अवलोकन इंगित करता है कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी का मानना है कि सरकारी कर्मचारी का आचरण, जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया है, ऐसा है कि नियम 19 में उल्लिखित तीन दंडों में से कोई एक अर्थात् बर्खास्तगी, निष्कासन या रैंक में कटौती, लगाना आवश्यक है और जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी संतुष्ट है कि 1958 के नियमों के नियम 16, 17 और 18 की प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, तो, प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे।

14. याचिकाकर्ता ने न केवल एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता, गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के बारे में बात को छुपाया, बल्कि उसने अधिकारियों के समक्ष झूठी घोषणा भी की कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 15.05.2015 के निर्णय के तहत उक्त आपराधिक मामले में उसे बरी कर दिया है, याचिकाकर्ता का ऐसा कृत्य उसके द्वारा किए गए घोर कदाचार के समान है। याचिकाकर्ता की ऐसी गलत जानकारी और कदाचार के आधार पर उसके खिलाफ सीसीए नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही छोड़ दी गई और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाला उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया।

15. याचिकाकर्ता का उपरोक्त कृत्य न केवल गलतबयानी के समान है बल्कि विभाग के साथ धोखाधड़ी भी है। याचिकाकर्ता का ऐसा कदाचार कानून की नजर में बर्दाश्त नहीं

किया जा सकता।

16. वर्तमान मामले में, यहां तक कि 1958 के नियमों के नियम 16, 17 और 18 के तहत जांच करना भी, एक निरर्थक अभ्यास के अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झुंझुनू के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है और उनकी सजा को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है और इसे बनाए रखा गया है और इसलिए, भले ही इसकी जांच संचालित की गई हो, दोषसिद्धि का तथ्य वैसा ही रहेगा और इसे विवादित नहीं माना जा सकता है।

17. **देवेन्द्र कुमार बनाम उत्तरांचल राज्य**, 2013 (9) **एससीसी** 363 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि जहां कोई कर्मचारी तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष धोखाधड़ी करके आदेश प्राप्त करता है, ऐसे आदेश को कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता है। "धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों, धार्मिक या लौकिक, का परिहार करती है"। आगे यह देखा गया कि बेईमानी को फलने और उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिन्होंने धोखाधड़ी की है या खुद को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को उनकी ओर से याचिका पर विचार करके धोखाधड़ी को कायम नहीं रखना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **देवेन्द्र कुमार (सुप्रा.)** के मामले में पैरा संख्या 12, 13, 18 और 25 में की गई टिप्पणियाँ, इस प्रकार हैं:

> 12. जहां तक गलतबयानी करके नियुक्ति प्राप्त करने का मामला है, यह अब कोई अभिन्न अंग नहीं रह गया है। प्रश्न यह नहीं है कि आवेदक पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। किसी आपराधिक मामले/कार्यवाही का लंबित रहना ऐसे लंबित मामलों की जानकारी को दबाने से अलग है। किसी व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामले में नैतिक अधमता शामिल नहीं हो सकती है, लेकिन इस जानकारी को छिपाना स्वयं नैतिक अधमता है। वास्तव में, नियोक्ता द्वारा मांगी गई जानकारी, यदि आवश्यकतानुसार प्रकट नहीं की गई, तो यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने के समान होगी। उस स्थिति में, सेवा समाप्त की जाने की दायी होंगी है, भले ही आगे कोई मुकदमा न हुआ हो या संबंधित व्यक्ति को बरी/मुक्त कर दिया गया हो।

13. यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि जहां कोई आवेदक तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके या सक्षम प्राधिकारी के साथ धोखाधड़ी करके कोई पद प्राप्त करता है, तो ऐसा आदेश कानून की नजर में कायम नहीं रह सकता है। "धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों, चर्च संबंधी या अस्थायी कार्यों से बचती है।" लाज़रस एस्टेट लिमिटेड बनाम बेसाले 1956 ऑल ई.आर. 349 में, न्यायालय ने बिना किसी संदेह के कहा कि "न्यायालय के किसी भी निर्णय, किसी मंत्री के किसी भी आदेश को बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि वह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो, क्योंकि धोखाधड़ी सब कुछ उजागर कर देती है।"

18. विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात यह है कि बेईमानी को फलने और उन व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिन्होंने धोखाधड़ी की है या खुद को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय को उनकी ओर से याचिकाओं पर विचार करके धोखाधड़ी को जारी नहीं रखना चाहिए। भारत संघ और अन्य बनाम वी. एम. भास्करन मनु/एससी/0178/1996मनु/एससी/0178/1996 : एआईआर 1996 एससी 686 में, इस न्यायालय ने जिला कलेक्टर और अध्यक्ष, विजयनगरम सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी मनु/एससी/0478/1990मनु/एससी/0478/1990: (1990) 3 एससीसी 655, में अपने पहले के निर्णय पर भरोसा करने और उसे अनुमोदित करने के बाद निम्नानुसार टिप्पणी की:-

यदि धोखाधड़ी करके कोई रोजगार प्राप्त किया जाता है, तो उसे के न्यायालय में स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि धोखाधड़ी से हासिल किया गया रोजगार नियोक्ता के विकल्प पर उसे अमान्य कर देता है।

25. इसके अलावा, यदि प्रारंभिक कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो किसी पक्ष का बाद का आचरण उसे पवित्र नहीं बना सकता है। "सुबला फंडामेंटो सेडिट ओपस"- यदि नींव को हटाया जा रहा है, संरचना गिर जाती है। गलत काम करने

वाला कोई व्यक्ति अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैध मुकदमे को विफल करने के लिए किसी भी कानून की वकालत नहीं कर सकता है। ऐसे मामले में कानूनी कहावत नुलस कमोडम कैपेरे पोटेस्ट डी इंजुरिया सुआ प्रोप्रिया लागू होती है। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उनके अपराध की जांच, सुनवाई या जांच नहीं की गई है।

न ही कोई व्यक्ति अपने गलत कार्य से उत्पन्न किसी अधिकार का दावा कर सकता है। (जूरी एक्स इंजुरिया नॉन ओरिटुर)।

18. **जैनेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, प्रमुख सचिव, **गृह एवं अन्य के माध्यम से**, **2012(8) एससीसी** 748 में प्रकाशित किए गए मामले में. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में विचार किए जाने वाले सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत किया, जहां पैरा 29.1 से 29.10 में उम्मीदवारों/नियुक्तों द्वारा गलत बयानी और/या तथ्यों को छिपाकर नियुक्ति प्राप्त की जाती है, जो इस प्रकार है:

"29.1.(i) धोखाधड़ी से प्राप्त नियुक्ति आदेशों को नियोक्ता के विकल्प पर वैध रूप से अमान्य माना जा सकता है या उसे नियोक्ता द्वारा वापस लिया जा सकता है और ऐसे मामलों में केवल इसलिए कि प्रतिवादी कर्मचारी कई वर्षों तक सेवा में बना रहा है ऐसी धोखाधड़ी से प्राप्त रोजगार के आधार पर, उसके पक्ष में कोई समानता या नियोक्ता के खिलाफ कोई रोक नहीं मिल सकती है।

(ii) चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन यह जांचने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है कि क्या चयनित उम्मीदवार राज्य के तहत पद के लिए उपयुक्त है और नियुक्ति प्राधिकारी को उसके पूर्ववृत्त के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को अनुशासित बल में नियुक्त करना वांछनीय नहीं लगता है. तो क्या इसे अनुचित कहा जा सकता है।

(iii) जब किसी व्यक्ति द्वारा जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की गई थी, तो यह नियोक्ता पर गलत बयानी और धोखाधड़ी होगी और इसलिए, कोई पूछताछ किए बिना बर्खास्तगी करते समय नियोक्ता के पक्ष में कोई समानता या नियोक्ता के खिलाफ कोई रोक नहीं होगी।

(iv) कोई उम्मीदवार जिसने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है और/या गलत जानकारी दी है, वह सेवा में बने रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और नियोक्ता, रोजगार की प्रकृति के साथ-साथ अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उसकी सेवाओं को समाप्त करने का विवेक रखता है।

किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्तता या हिरासत या दोषसिद्धि के संबंध में जानकारी मांगने का उद्देश्य भर्ती के समय चरित्र/पूर्ववृत्त का सत्यापन करना है और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने से सेवा में उनकी निरंतरता के संबंध में उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा।

(vi) वह व्यक्ति जिसने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई और/या गलत जानकारी दी, वह नियुक्ति या सेवा में निरंतरता के किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता।

(vii) वर्दीधारी सेवा में सेवा करने के इच्छुक व्यक्ति से अपेक्षित मानक अन्य सेवाओं से काफी अलग है और इसलिए, महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में किसी भी जानबूझकर दिए गए बयान या चूक को गंभीरता से लिया जा सकता है और नियुक्ति प्राधिकारी के अंतिम निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

(viii) परिवीक्षा पर रहने वाले किसी कर्मचारी को महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने या आपराधिक मामले में उसकी संलिप्तता, दोषसिद्धि या हिरासत से संबंधित गलत बयान देने के आधार पर सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है या उसे रोजगार देने से इनकार किया जा सकता है, भले ही उक्त मामले में उसे अंततः उसे बरी कर दिया गया हो, क्योंकि ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति को पद के लिए अवांछनीय या अनुपयुक्त बना देगी।

(ix) वर्दीधारी सेवा में एक कर्मचारी उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा रखता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति से कानून का पालन करने की अपेक्षा की जाती है और इसके विपरीत धोखे और छल से पैदा की गई ऐसी सेवा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

(x) जिन अधिकारियों को कांस्टेबलों की नियुक्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनका कर्तव्य है कि वे किसी उम्मीदवार के पूर्ववृत्त को सत्यापित करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह कांस्टेबल के पद के लिए उपयुक्त है और

जब तक कि उम्मीदवार को आपराधिक मामले से बरी नहीं कर दिया गया हो, उसे कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता है।

19. नियोक्ता के दृष्टिकोण से, मुद्दे/प्रश्न पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। प्रश्न यह नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया अपराध उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में था या नहीं। प्रश्न याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता और भरोसेमंदता के बारे में है, जिसने हर स्तर पर एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता, गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के बारे में न केवल दबाया और छुपाया, बल्कि झूठी घोषणा करके धोखाधड़ी भी की कि उसे इस न्यायालय ने दिनांक 15.05.2015 के निर्णय द्वारा बरी कर दिया गया है। जबकि इस न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था और इसे अंतिम रूप दिया गया है। यदि सही तथ्यों का खुलासा होता तो प्रतिवादी याचिकाकर्ता को सेवा में जारी नहीं रखते। ऐसे में प्रश्न भरोसे का है, इसलिए, ऐसी स्थिति में, जहां नियोक्ता को लगता है कि याचिकाकर्ता जैसा कर्मचारी, जिसने धोखाधड़ी करके विभाग को गुमराह किया है और सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया है और भौतिक तथ्यों को छिपाया है, इस कारण से उसे सेवा में जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि भविष्य में ऐसे कर्मचारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और नियोक्ता को याचिकाकर्ता जैसे कर्मचारी को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसा कर्मचारी सेवा में बने रहने के अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जिस निर्णय पर भरोसा किया वह वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए लागू नहीं होता है।

20. चूंकि याचिकाकर्ता ने एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता, गिरफ्तारी और दोषसिद्धि के बारे में न केवल प्रत्यर्थीगण को गुमराह किया है, बल्कि उसने यह कहकर प्रतिवादियों के साथ धोखाधड़ी भी की है कि उसे आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लेने में कोई अवैधता नहीं की है।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, वर्तमान रिट याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

22. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन खारिज किये जाते हैं।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।